

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 800/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
एचडीबी फाईनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम,  
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स श्री राम कार बाजार जरिये प्रोपराईटर,  
पता :- 15, सिन्धी कॉलोनी, पिक स्क्वायर मॉल के सामने, आदर्श नगर, जयपुर।  
एवं प्लॉट नम्बर 11-ई, योजना गुरु कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर।
2. श्री राजकुमार मीणा पुत्र झूथाराम मीणा,
3. नारंगी मीणा पत्नी श्री सूरज मीणा,
4. झूथाराम मीणा पुत्र श्योराम मीणा,
5. सूरज मीणा पुत्र झूथाराम मीणा,  
पता:- प्लॉट नम्बर 11-ई, योजना गुरु कॉलोनी, गोनेर रोड, राधा कृष्णा मंदिर के सामने,  
लुनियावास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 27.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री झूथाराम मीणा के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 11-ई, योजना गुरु कॉलोनी, गोनेर रोड, राधा कृष्णा मंदिर के सामने, लुनियावास, जयपुर क्षेत्रफल 428 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 30.08.2019 को राशि 64,00,000/- रुपये व दिनांक 04.05.2021 को राशि 12,46,000/- रुपये कुल राशि 76,46,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.03.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अतिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत वस्तुवैज्ञानिक का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना आई विल्ली 08 अगस्त 2016 का संशोधित अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 76,48,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 64,93,246/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.03.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री झूथाराम गीणा को स्वागित्त्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 11-ई, योजना गुरु कॉलोनी, गोनेर रोड, राधा कृष्णा मंदिर के सामने, लुनियावारा, जयपुर क्षेत्रफल 428 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 27.07.2023 को सरे इजलारा सुनाया गया।

  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
 (कलक्टर) जयपुर